"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतानं (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 236]   रायपुर, शनिवार, दिनांक 28 अगस्त 2010—भाद्र 6, शक 1932

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ -1-46/18/2009.—विभाग के द्वारा निम्नांकित निकायों में छ. ग. न. पा. अधिनियम 1961 की धारा 16 के अंतर्गत गठित समिति का कार्यकाल समाप्त होने के फलस्वरूप निम्नांकित निकायों हेतु संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार को आगामी निर्वाचन होने तक प्रशासक नियुक्त किया जाता है.

1. नगर पालिका, खैरागढ़
2. नगर पालिका, बैकुण्ठपुर
3. नगर पालिका, शिवपुरचरचा
4. नगर पंचायत, सारंगढ़
5. नगर पंचायत, मारो
6. नगर पंचायत, कोंटा
7. नगर पंचायत, प्रेमनगर
8. नगर पंचायत, नरहरपुर
9. नगर पंचायत, भोपालपट्टनम
10. नगर पंचायत, भैरमगढ़
11. नगर पंचायत, विश्रामपुरी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमन्त पहारे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2010.

क्रमांक एफ-01-46/18/2009.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 01-46/18/2009 दिनांक 27-08-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमन्त पहारे, उप-सचिव.

Raipur, the 27th August 2010

NOTIFICATION

No. F-1-46/18/2009.—Due to completion of the tenure of the, committees, constituted under section 16 of C. G. Municipal Act 1961, in the following Local Bodies, the State Government hereby appoint the Tahsildars of the respective areas as Administrators in place of committees, till the next elections.

1. Nagar Palika, Khairagarh
2. Nagar Palika, Baikunthpur
3. Nagar Palika, Shivpurcharcha
4. Nagar Panchayat, Sarangarh
5. Nagar Panchayat, Maro
6. Nagar Panchayat, Konta
7. Nagar Panchayat, Premnagar
8. Nagar Panchayat, Narharpur
9. Nagar Panchayat, Bhopalpattnam
10. Nagar Panchayat, Bhairamgarh
11. Nagar Panchayat, Vishrampuri.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
HEMANT PAHARE, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.